न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 72/2019

अनवान :

1. राजेश कुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पूनमचन्द पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. शारदा पुत्री मनीराम पत्नी राहुल कौशिक जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा हाल श्याम मंदिर के पास, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री श्यामसुन्दर शर्मा : वादी

निर्णय दिनांक : 26-02-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 176/182 के खसरा सं0 225/1 की 11.8250 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74, ग्राम रासलाना के खाता सं0 214/199 के खसरा सं0 298 की 5.5900 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78, ग्राम जाटान के खाता सं0 116/113 के खसरा सं0 378/2 की 5.6470 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 मनीराम को अपने पिता रामचन्द्र से विरासतन प्राप्त हुई जो महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के साथ जन्म से हक व हिस्सा बराबर निहित है। आज तीन वर्ष पूर्व घरेलु मौखिक बंटवारा में प्रतिवादी सं 3 शारदा ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 जो उसके पिता व भाई है के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:18 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। [illegible] प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालदावा पेश किया। प्रति[illegible] वादी ने तर्क किया [illegible]

साक्ष्य वादी में वादी राजेश कुमार के [illegible]यान करवाये गये। दस्ता[illegible] साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी ग्राम रासलाना सम्वत् 2055 प्रदर्श 1, फोटो प्रतिलिपि खतौनी जमाबन्दी ग्राम मलसीसर सम्वत् 55 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

खतौनी जमाबन्दी ग्राम जटान सम्वत् 2053 प्रदर्श 3, सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 176/182 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 4, सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम रासलाना खाता सं0 214/199 सम्वत् 2075 से 78 प्रदर्श 5, सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जटान खाता सं0 116/113 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये व वारिस प्रमाण पत्र मनीराम का पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के साथ जन्म से हक व हिस्सा बराबर निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम रासलाना, जटान व मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी ग्राम रासलाना सम्वत् 2055 प्रदर्श 1, फोटो प्रतिलिपि खतौनी जमाबन्दी ग्राम मलसीसर सम्वत् 55 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमावन्दी ग्राम जटान सम्वत् 2053 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये है जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा रामचन्द्र पि0मु0 छोगाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में मनीराम के वारिसान में पत्नी सरस्वती, दो पुत्र राजेश कुमार व पूनम चन्द एवं एक पुत्री शारदा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 176/182 के खसरा सं0 225/1 की 11.8250 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74, ग्राम रासलाना के खाता सं0 214/199 के खसरा सं0 298 की 5.5900 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78, ग्राम जाटान के खाता सं0 116/113 के खसरा सं0 378/2 की 5.6470 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश कुमार)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 72/2019

अनवान :

1. राजेश कुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पूनमचन्द पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. शारदा पुत्री मनीराम पत्नी राहुल कौशिक जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा हाल श्याम मंदिर के पास, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्यामसुन्दर शर्मा की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 176/182 के खसरा सं0 225/1 की 11.8250 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74, ग्राम रासलाना के खाता सं0 214/199 के खसरा सं0 298 की 5.5900 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78, ग्राम जाटान के खाता सं0 116/113 के खसरा सं0 378/2 की 5.6470 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner